

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेडा

बनाम *बाजी रॉय*

म मुकदमा नं. *38* सन *2022*

क	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नाम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p><i>2/12</i> वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पनावली दिनांक <i>8/12/22</i> को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेडा <i>पदेन</i></p> <p><i>8/12/22</i> पत्रपत्ती पेश हुई। वकील <i>प्रावी</i> उपस्थित प्रकरण में वकील <i>प्रावी</i> में छोड़े बिना पूरा आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाने का आदेश देकर किया वकील <i>प्रावी</i> प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चलाने से <i>प्रावी</i> का प्रारूप इसी त्वर पर स्वादीय किया जा रहा है। पुस्तक फौजदारी नं. <i>1003</i> उच्च नम्बर <i>संक्रमणी</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा</p>	<p>कलक्टर <i>राजेश</i></p> <p><i>राजेश</i></p> <p><i>राजेश</i></p> <p>नि. साहनी</p> <p><i>राजेश</i></p> <p><i>राजेश</i></p> 